

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 367/2023 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, मानउपासना प्लॉजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम,
एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. अमन्स ड्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लि0,
पता :- प्लॉट नम्बर 90 व 91, स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, हरनाथपुरा, जयपुर ।
एवं एस एन 11, सुभाष नगर, कृष्णा स्कवायर, जयपुर ।
2. श्रीमती अमन शेखावत,
पता :- प्लॉट नम्बर 90 व 91, स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, हरनाथपुरा, जयपुर ।
एवं प्लॉट नम्बर 91, स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, कालवाड रोड, वार्ड नम्बर 43, झोटवाडा, जयपुर ।
एवं मार्फत अमन्स ड्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लि0, एसएन-11, सुभाष नगर, कृष्णा स्कवायर, जयपुर ।
3. श्री रघुवीर सिंह,
पता :- प्लॉट नम्बर 90 व 91, स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, हरनाथपुरा, जयपुर ।
एवं प्लॉट नम्बर 91, स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, कालवाड रोड, वार्ड नम्बर 43, झोटवाडा, जयपुर ।
एवं मार्फत ए.आर. इलेक्ट्रो इण्डिया एन-2, एन-3, एन-4, रिट्टी सिद्धी नगर, नियर करधनी नगर,
गोविन्दपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री के के सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 11.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) श्रीमती अमन शेखावत के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नम्बर 90 स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, हरनाथपुरा, कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 216.94 वर्गगज व (2) श्री रघुवीर सिंह के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नम्बर 91 स्कीम रिट्टी सिद्धी नगर, हरनाथपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 213.88 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 27.08.2019 को राशि 1,39,70,000/- रुपये व दिनांक 01.08.2022 को राशि 27,63,302/- रुपये कुल राशि 1,67,33,302/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत

५०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 1,67,33,302/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 1,78,43,536.17/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी (1) श्रीमती अमन शेखावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 90 स्कीम रिट्टी सिट्टी नगर, हरनाथपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 216.94 वर्गगज व (2) श्री रघुवीर सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 91 स्कीम रिट्टी सिट्टी नगर, हरनाथपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर क्षेत्रफल 213.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज दिया जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने में सहायता करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल कर दी जावे।
6. आदेश आज दिनांक 11.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर